



UPSI180020392017

न्यायालय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur
पैरसेन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), (उप न्यायिक सेवा) - UP03730

मूलवाद सं० Civil Suit/336/2017

Rajkumar Vs. Manish rastogi and others

30-01-2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं० 7 नियत है।

वाद बिन्दु सं० 7 पर सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 7-

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित है कि “क्या प्रतिदावे का मूल्यांकन कम कर न्यायशुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?”

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 08.01.2021 को न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं० 2 जो कि मूल्यांकन के सन्दर्भ में है, को निस्तारित करते हुए वाद का 15,000 रु० निर्धारित किया गया है। प्रतिवादी सं० 1 ने प्रतिदावे का मूल्यांकन 5000 रु० करके उसपर बेदखली के बाबत न्यायशुल्क अदा किया है। वाद-पत्र एवं प्रतिदावे में वर्णित सम्पत्ति एक ही हैं। अतः प्रतिदावे का मूल्यांकन भी 15,000 रु० किया जाता है।

आदेश

प्रतिवादी सं० 1 को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिदावे का मूल्यांकन मु०-15,000 रु० करके उसपर नियमानुसार न्यायशुल्क अदा करे। पत्रावली वास्ते दाखिला मुंसरिम आख्या एवं निस्तारण वाद बिन्दु सं० 7 दि० 12.03.2024 को पेश हो।

सिविल जज जू० डि०

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP3730

अजय/स्टेनो